

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 540 सन 2020

अनवान :-

1. रणजीत पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

**बनाम**

1. जयलाल पुत्र चान्दाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
2. आदराम पुत्र जयलाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
3. संदीप कुमार पुत्र आदराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
4. कुलदीप पुत्र आदराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
5. सोहनलाल पुत्र जयलाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
6. भजनलाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
7. विनोद पुत्र सोहनलाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
8. विरेन्द्र कुमार पुत्र रणजीत जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
9. विकास पुत्री रणजीत पत्नी अमित कुमार जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील संगरीया जिला हनुमानगढ।
10. पूनम चौधरी पुत्री रणजीत जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
11. कान्ता कुमारी पुत्री सोहनलाल पत्नि, मुकेश कुमार जाति जाट साकिन शकर मन्दोरी जिला सिरसा।
12. कविता पुत्री सोहनलाल पत्नि रमेश जाति जाट साकिन डाबडी बडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
13. सावित्री पुत्री जयलाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
14. सुमित्रा पुत्री जयलाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 07/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 80/74 की कुल 1.5180 हैक् भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 बहिब व रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 7/7 की कुल 1.2650 हैक् प्रतिवादी संख्या 2 तथा खाता संख्या 251/235 की कुल 4.0480 हैक् भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 5 बहिब व रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 47/46 की कुल 4.5540 हैक् भूमि वादी की माता-1/18 हिस्सा तथा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 45/45 के कुल 1.7710 हैक् में प्रतिवादी संख्या 1 व रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 37/37 की कुल 0.253 व खाता संख्या 38/38 की कुल 3.0360 है व खाता संख्या 45/45 की कुल 21.505 में प्रतिवादी संख्या 1 सयुक्त खाते में व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 53/47 की कुल 7.4010 हैक् भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 बहिब व खाता संख्या 199/199 की कुल 0.759 हैक् भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 5 बहिब व खाता संख्या 200/178 की कुल 3.7590 हैक् मे वादी का 2/9 हिस्स व प्रतिवादी संख्या 2 का 2/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 2/9 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि में वादी के पूर्वज चान्दाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी भूमि उनके पुत्र पुत्रीयों अर्थात वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा चान्दाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

दर्ज हुई जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 3, 4, 6 ता 14 का प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 के साथ बहिब का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 वादी की पुत्री बहन व भतीजिया है जिन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है जिन्होंने आपसी सहमति से वाद भूमि का काश्त की सुविधा का ध्यान में रखते हुए परिवारिक समझौता / बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 4(1) से 4(4) में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है इसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी व प्रतिवादीगण के परिवारिक समझौता के अनुसार भूमि दर्ज नहीं है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा व परिवारिक समझौता के अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्ताबा कहा की परिवारिक समझौता के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी व प्रतिवादीगण के परिवारिक समझौता / बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता चान्दाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई / पिता / भतीजों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 15 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 80/74 की कुल 1.5180 हैक् भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 बहिब व रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 7/7 की कुल 1.2650 हैक् प्रतिवादी संख्या 2 तथा खाता संख्या 251/235 की कुल 4.0480 हैक् भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 5 बहिब व रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 47/46 की कुल 4.5540 हैक् भूमि वादी की माता 1/18 हिस्सा तथा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 45/45 के कुल 1.7710 हैक् में प्रतिवादी संख्या 1 व रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 37/37 की कुल 0.253 व खाता संख्या 38/38 की कुल 3.0360 हैक् व खाता संख्या 45/45 की कुल 21.505 में प्रतिवादी संख्या 1 सयुक्त खाते में व रोही मौजा चक 1 जेएनएन के खाता संख्या 53/47 की कुल 7.4010 हैक् भूमि वादी व

उपखण्ड अधिकारी  
रोही  
नोहर

प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 बहिब व खाता संख्या 199/199 की कुल 0.759 हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 5 बहिब व खाता संख्या 200/178 की कुल 3.7590 हैक मे वादी का 2/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 2/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 2/9 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि में वादी के पूर्वज चान्दाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी भूमि उनके पुत्र पुत्रीयों अर्थात वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा चान्दाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 3, 4, 6 ता 14 का प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 के साथ बहिब का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 वादी की पुत्री बहन व भतीजिया है जिन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है जिन्होंने आपसी सहमति से वाद भूमि का काश्त की सुविधा का ध्यान में रखते हुए परिवारिक समझौता / बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 4(1) से 4(4) में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है इसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति / राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई / पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 80/74 की कुल 1.5180 हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 बहिब व रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 7/7 की कुल 1.2650 हैक प्रतिवादी संख्या 2 तथा खाता संख्या 251/235 की कुल 4.0480 हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 5 बहिब व रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 47/46 की कुल 4.5540 हैक भूमि वादी की माता 1/18 हिस्सा तथा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 45/45 के कुल 1.7710 हैक में प्रतिवादी संख्या 1 व रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 37/37 की कुल 0.253 व खाता संख्या 38/38 की कुल 3.0360 है व खाता संख्या 45/45 की कुल 21.505 में प्रतिवादी संख्या 1 सयुक्त खाते में व रोही मौजा चक 1 जेएनएन के खाता संख्या 53/47 की कुल 7.4010 हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 बहिब व खाता संख्या 199/199 की कुल 0.759 हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 5 बहिब व खाता संख्या 200/178 की कुल 3.7590 हैक मे वादी का 2/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 2/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 2/9 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 3, 4, 6 ता 8 के दादा जयलाल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है इसीप्रकार वादी भूमि प्रतिवादी संख्या 3, 4, 6 ता 8 के पिता वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 व वादी की दादी सरस्वती के नाम से दर्ज है उक्त भूमि वादी के पडदादा चान्दाराम के नाम दर्ज थी जो जरिये धोषणा प्राप्त हुई है।

वाद भूमि सयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति है जो वर्तमान में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 व वादी की माता सरस्तीदेवी के नाम से दर्ज है जिसमें हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 का बराबर का हक हिस्सा है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 जो वादी की बहन/पुत्री/भतिजीया है अपने हक हिस्सा की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के पक्ष में त्याग कर दिया है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादीगण के पक्ष में कर दिया है वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी का कथन है वाद भूमि के सम्बन्ध में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के मध्य परिवारिक समझौता हुआ है उसी के अनुसार भूमि काशत करते आ रहे हैं परिवारिक समझौता के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं वादी के कथनों प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के मध्य काशत की सूविधा के लिये परिवारिक समझौता/बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्था होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि

रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 38/38 की कुल 3.0360 हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर 1.265 हैक् भूमि वादी एव शेष 1.771 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 8 के पास रहेगी व खाता संख्या 37/37 की 0.253 हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 8 के नाम दर्ज की जावे एवं रोही मौजा चक 5 ए बरानी के खाता संख्या 80/74 की कुल 1.518 हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी का नाम दर्ज किया जावे व रोही मौजा चक 5 बी बरानी के खाता संख्या 251/235 के प0न0 345/394(46) के किला न0 15 ता 17, 24, 25 प्रत्येक 0.2530 हैक् व 23 मिन पूर्व की 0.063 हैक् कुल 1.327 हैक् भूमि में से प्रतिवादी संख्या 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी के नाम दर्ज की जावे व रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 45/45 के प0न0 342/374(3) किला न0 13, 14, 18 प्रत्येक 0.2530 हैक् में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी के नाम दर्ज की जावे व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 53/47 के प0न0 359/363(25) के किला न0 14/0.253, 15/1 की 0.0380 हैक् गै.मुरास्ता, 15/2 की 0.2150 हैक्, 17/0.2530 हैक् कुल 0.759 हैक् भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी के नाम दर्ज की जावे। रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 53/47 के प0न0 359/363(25) के किला न0 16/1 की 0.0380 हैक् गै0मु0रास्ता 16/2 की 0.2150, 25/1 की 0.0380 हैक् गै0मु0रास्ता 25/2 की 0.2150 हैक् में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 5 का नाम कलमजन कर प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 बहिब दर्ज की जावे रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 199/199 की कुल 0.759 हैक् भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 5 का नाम कलमजन किया जाकर व चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 200/178 की कुल 3.7950 हैक् में से 6/9 हिस्सा यानी 2.5300 हैक् भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 5 का नाम कलमजन किया जाकर व 1 जेएसएन के खाता संख्या 53/47 के प0न0

उपरोक्त अधिकांश

नोहर

357/363(27) के किला न० 23 ,24/प्रत्येक 0.2530 ,25/1 की 0.0380हैक् गै.म.रास्ता 25/2 की 0.1070 ,25/3 की 0.1080हैक् कुल 0.7590हैक् भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 5 का नाम कलमजन किया जाकर व रोही मौजा चक 5 वी बाराणी के खाता संख्या 7/7 की कुल 1.2650हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 2 , 3 ,4 खातेदार काशतकार दर्ज किया जावे व खाता संख्या 251/235 की कुल 4.0480हैक् मे से प०न० 344/394(46) किला न० 18/0.253 ,23मिन मध्य 0.0760हैक् भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 5 का नाम कलमजन कर व 6 केएनएन के खाता संख्या 47/46 की कुल 4.5540हैक् भूमि में से 1/18 हिस्सा यानी 0.2530हैक् वादी की माता सरस्वती देवी मृतक का नाम कलमजन किया जाकर व खाता संख्या 45/45 के प०न० 342/374(3) किला न० 6/1 की 0.0260हैक् गै०मु०रास्ता 6/2 की 0.2270हैक् 7/0.253 ,8/0.2530 ,15/1 की 0.0260हैक् गै०मु०रास्ता 15/2 की 0.2270हैक् कुल 1.0120हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त खातों की कुल 7.413हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,4 बहिव का खातेदार दर्ज किया जावे रोही मौजा चक 1 जेएनएन के खाता संख्या 53/47 के प०न० 357/363(27) किला न० 22/0.2530 ,प०न० 357/364(30) किला न० 2 ता 5/1.0120हैक् प०न० 360/363(24) किला न० 8/2 ,9/2 व 10/2 प्रत्येक 0.190हैक् 11 ,12 ,13 प्रत्येक 0.2530हैक् , 18 ता 23 प्रत्येक 0.2530हैक् प०न० 362/366(59) के किला न० 2/1 की 0.0250हैक् गै०मु०खाला 2/2 की 0.2280हैक् , 9/0.2530 ,12/0.2530 ,19/0.2530 ,22/.2530 ,कुल 5.377हैक् भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का नाम कलमजन किया जाकर व रोही मौजा चक 5 वी बाराणी के खाता संख्या 251/235 के प०न० 344/394(47) के किला न० 6 व 15 प्रत्येक 0.2530हैक् व प०न० 345/394(46) के किला न० 10 ,11 ,12 ,19 ता 22 प्रत्येक 0.2530हैक् व 23 मिन पश्चिम की 0.1140हैक् भूमि में वादी का नाम कलमजन किया जाकर उक्त खातो की 7.7680हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ,7 बहिव के खातेदार दर्ज किया जावे व रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 45/45 की कुल 21.505 है भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलरन 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बेक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्वा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ॥

निर्णय आज दिनांक 02/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर ( हनुमानगढ़ )

सत्यमेव जयते

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रुल 6-7 जाया दियागी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. रणजीत पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. जयलाल पुत्र चान्दाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
2. आदराम पुत्र जयलाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
3. रांदीप कुमार पुत्र आदराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
4. कुलदीप पुत्र आदराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
5. सोहनलाल पुत्र जयलाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
6. भजनलाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
7. विनोद पुत्र सोहनलाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
8. विरेन्द्र कुमार पुत्र रणजीत जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
9. विकास पुत्री रणजीत पत्नी अमित कुमार जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील संगरीया जिला हनुमानगढ़।
10. पूनम चौधरी पुत्री रणजीत जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
11. कान्ता कुमारी पुत्री सोहनलाल पत्नि मुकेश कुमार जाति जाट साकिन शकर मन्दोरी जिला सिरसा
12. कविता पुत्री सोहनलाल पत्नि रमेश जाति जाट साकिन डावडी बडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
13. सावित्री पुत्री जयलाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
14. सुमित्रा पुत्री जयलाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 540 सन 2020 निर्णय दिनांक- 07/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सद्युता एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 38/38 की कुल 3.0360 हेक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर 1.265 हेक् भूमि वादी एव शेष 1.771 हेक् भूमि प्रतिवादी संख्या 8 के पास रहेगी व खाता संख्या 37/37 की 0.253 हेक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 8 के नाम दर्ज की जावे एवं रोही मौजा चक 5 ए वारानी के खाता संख्या 80/74 की कुल 1.518 हेक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी का नाम दर्ज किया जावे व रोही मौजा चक 5 वी वारानी के खाता संख्या 251/235 के प0न0 345/394(46) के किला न0 15 ता 17, 24, 25 प्रत्येक 0.2530 हेक् व 23 मिन पूर्व की 0.063 हेक् कुल 1.327 हेक् भूमि में से प्रतिवादी संख्या 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी के नाम दर्ज की जावे व रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 45/45 के प0न0 342/374(3) किला न0 13, 14, 18 प्रत्येक 0.2530 हेक् में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी के नाम दर्ज की जावे व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 53/47 के प0न0 359/363(25) के किला न0 14/0.253, 15/1 की 0.0380 हेक् गै.मु.रास्ता, 15/2 की 0.2150 हेक्, 17/0.2530 हेक् कुल 0.759 हेक् भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी के नाम दर्ज की जावे। रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 53/47 के प0न0 359/363(25) के किला न0 16/1 की 0.0380 हेक् गै0मु0रास्ता 16/2 की 0.2150, 25/1 की 0.0380 हेक्

(91) किला न0 16/1 की 0.0380 हेक् गै0मु0रास्ता  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

गै0मु0रास्ता 25/2 की 0.2150हैक में वादी व प्रतिवादी संख्या 1,5 का नाम कलमजन कर प्रतिवादी संख्या 2,3,4 बहिब दर्ज की जावे रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 199/199 की कुल 0.759हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 5 का नाम कलमजन किया जाकर व चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 200/178 की कुल 3.7950हैक में से 6/9 हिस्सा यानी 2.5300हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 5 का नाम कलमजन किया जाकर व 1 जेएसएन के खाता संख्या 53/47 के प0न0 357/363(27) के किला न0 23,24/प्रत्येक 0.2530,25/1 की 0.0380हैक गै.म.रास्ता 25/2 की 0.1070,25/3 की 0.1080हैक कुल 0.7590हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 5 का नाम कलमजन किया जाकर व रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 7/7 की कुल 1.2650हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2,3,4 खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व खाता संख्या 251/235 की कुल 4.0480हैक में से प0न0 344/394(46) किला न0 18/0.253,23मिन मध्य 0.0760हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 5 का नाम कलमजन कर व 6 केएनएन के खाता संख्या 47/46 की कुल 4.5540हैक भूमि में से 1/18 हिस्सा यानी 0.2530हैक वादी की माता सरस्वती देवी मृतक का नाम कलमजन किया जाकर व खाता संख्या 45/45 के प0न0 342/374(3) किला न0 6/1 की 0.0260हैक गै0मु0रास्ता 6/2 की 0.2270हैक 7/0.253,8/0.2530,15/1 की 0.0260हैक गै0मु0रास्ता 15/2 की 0.2270हैक कुल 1.0120हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त खातों की कुल 7.413हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2,3,4 बहिब का खातेदार दर्ज किया जावे रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 53/47 के प0न0 357/363(27) किला न0 22/0.2530,प0न0 357/364(30) किला न0 2 ता 5/1.0120हैक प0न0 360/363(24) किला न0 8/2,9/2 व 10/2 प्रत्येक 0.190हैक 11,12,13 प्रत्येक 0.2530हैक, 18 ता 23 प्रत्येक 0.2530है प0न0 362/366(59) के किला न0 2/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला 2/2 की 0.2280हैक, 9/0.2530,12/0.2530,19/0.2530,22/0.2530,कुल 5.377हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1,2 का नाम कलमजन किया जाकर व रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 251/235 के प0न0 344/394(47) के किला न0 6 व 15 प्रत्येक 0.2530हैक व प0न0 345/394(46) के किला न0 10,11,12,19 ता 22 प्रत्येक 0.2530हैक व 23 मिन पश्चिम की 0.1140हैक भूमि में वादी का नाम कलमजन किया जाकर उक्त खातों की 7.7680हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 5,6,7 बहिब के खातेदार दर्ज किया जावे व रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 45/45 की कुल 21.505 है भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)